नगर निगम, गाजियाबाद

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

(ऑडिट रिपोर्ट)

वर्ष 2023-24

(नगर निगम लेखा नियमावली के
नियम 77(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत)

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक।

नगर निगम, गाजियाबाद

प्रेषक,

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास अनुभाग-7,
बापू भवन, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

पंत्राकः- 31 /डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25 दिनाङ्कः- 26/07/2024

विषयः- नगर निगम गाजियाबाद का वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम-77(1) के अनुसार नगर निगम गाजियाबाद का वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

संख्या एवं दिनाङ्क तदैवः-

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, उ0प्र0; लखनऊ।
2. महापौर महोदया, नगर निगम गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद।
4. लेखाधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।
5. सदन सचिव, नगर निगम गाजियाबाद।
6. प्रभारी कम्प्यूटर को नगर निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन
(वित्तीय वर्ष 2023–24)

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों, यथा (1) अनिस्तारित आपत्तियों की अद्यावधिक सूची, प्राविधिक त्रुटियों एवं अनियमितताओं का वर्णन तथा (2) मासिक रिपोर्ट में प्राधिकारियों को संज्ञान में लाई गई सामान्य तथा महत्वपूर्ण मामलों से समाविष्ट लेखा परीक्षा टिप्पणी में प्राधिकारियों द्वारा उस रिपोर्ट पर कार्यवाही तथा नगर निगम की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण (3) लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसे सरकार या नगर निगम गाजियाबाद से लेखा परीक्षा के अंश के रूप में आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है:–

भाग–प्रथम

(इस भाग में लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अनुसार सामान्य प्रशासन के साथ अनिस्तारित विशेष एवं साधारण आपत्तियों की संख्या, प्रतिवेदित अनियमितताओं एवं त्रुटियों का उल्लेख है।)

1. प्रशासनः–

प्रतिवेदित वर्ष (2023–24) में 01.04.2023 से 27.05.2023 तक शासन द्वारा गठित समिति द्वारा सदन के कार्यों का निर्वहन किया गया, तत्पश्चात् शेष वित्तीय वर्ष में श्रीमती सुनीता दयाल महापौर रहीं । वित्तीय वर्ष–2023–24 में दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 04.09.2023 तक डॉ0 नितिन गौड़ (आई.ए.एस.), तदुपरान्त दिनाङ्क 04.09.2023 से शेष वित्तीय वर्ष में श्री विक्रमादित्य सिंह मलिक (आई.ए.एस.) नगर आयुक्त पद पर रहे।

2. सम्परीक्षणः–

1. प्रतिवेदित वर्ष 2023–24 में सम्पूर्ण वर्ष श्री विवेक सिंह मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत रहे।
2. सम्परीक्षा विभाग में शासन द्वारा प्रेषित ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के सापेक्ष निम्नलिखित ज्येष्ठ लेखा परीक्षक कार्यरत रहेः–
   - I- श्री रोहिताश्व शुक्ल (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) सम्पूर्ण वर्ष।
   - II- श्री विमलकांत सिंह (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) सम्पूर्ण वर्ष।
   - III- सुश्री0 डा0 रज़िया बेगम (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) सम्पूर्ण वर्ष।

3. अनिस्तारित आपत्तियाँ

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2021-22 से पूर्व के वर्षों के आपत्ति सम्बन्धी अभिलेख कतिपय कारणों से विभाग में अनुपलब्ध हैं, तथापि वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ से वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित आपत्तियाँ/पत्र एवं उनके निराकरण की विभागीय स्थिति निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	आलोच्य अवधि में अनियमितताओं हेतु प्रेषित आपत्तियाँ/पत्र		आलोच्य अवधि में निस्तारित आपत्तियाँ		अनिर्णीत आपत्तियों का अंतिम अवशेष	
		विशेष	साधारण/पत्र	विशेष	साधारण/पत्र	विशेष	साधारण/पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	स्वास्थ्य विभाग	—	09	—	—	—	42
2	निर्माण विभाग	—	05	—	—	02	32
3	जलकल विभाग	—	06	—	—	—	33
4	उद्यान विभाग	—	04	—	—	01	24
5	नजारत विभाग	—	09	—	—	—	35
6	सम्पत्ति विभाग	—	05	—	—	01	28
7	प्रकाश विभाग	—	05	—	—	—	27
8	विज्ञापन विभाग	—	04	—	—	—	21
9	लेखा विभाग	—	09	—	—	—	34
10	कर विभाग	01	09	—	—	03	28
11	अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स)	—	03	—	—	—	22
12	अधिष्ठान विभाग	01	06	—	—	02	33
13	रिकार्ड (अभिलेख)	—	—	—	—	—	—
14	जनसूचना	—	01	—	—	—	01
15	विधि	—	03	—	—	—	08
16	विद्यालय	—	—	—	—	—	12
17	जेम	01	—	—	—	02	02
18	परिवहन विभाग	—	15	—	—	—	05
19	पेंशन विभाग	—	—	—	—	—	29
20	कोषागार	—	—	—	—	—	——
21	कम्प्यूटर	—	04	—	—	—	22
22	स्वच्छ भारत मिशन	—	—	—	—	—	—
23	पशुचिकित्सा विभाग	—	03	—	—	—	09
24	आई0टी0	—	02	—	—	—	08
25	पुस्तकालय	—	—	—	—	—	—
26	अन्य/समस्त	01	12	—	—	03	13
	योग	04	114	0	0	14	486

पूर्व वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों में नगर निगम तथा शासन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि नगर निगम के विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा सम्परीक्षा विभाग से प्रेषित पत्रों तथा आपत्तियों द्वारा

ज्ञात कराई गई अनियमितताओं के निस्तारण में रुचि न लिए जाने के कारण सम्परीक्षा विभाग द्वारा सूच्य अनियमितताओं/आपत्तियों की स्थिति न केवल यथावत् बनी रही अपितु उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। लेखा नियमावली के नियम-79 में प्रविधानित किया गया है कि आपत्ति विवरण-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर विभागाध्यक्ष आपत्ति निरतारण हेतु उत्तर एवं अपने हस्ताक्षर सहित आपत्ति-पत्र वापस करेगा किन्तु नगर निगम में इस नियम की पूर्णतया अवहेलना की जा रही है।

4. <u>सामान्य त्रुटियों का विवरणः-</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय-व्यय के लेखा परीक्षण के समय निम्नलिखित त्रुटियाँ अधिकाशतः समस्त विभागों में पायी गईः-

I. प्रायः पेंशन पत्रावलियों में संलग्न अदेय प्रमाण-पत्रों पर पदाधिकारियों के पदनाम एवं मुहर आदि अंकित नहीं किये जाते हैं।

II. लेखा नियमावली के नियमों की अवहेलनाः- लेखा नियमावली के नियम-5 के अनुसार प्रत्येक अशुद्ध एवं अपरलेखन को उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये परन्तु ऐसा प्रायः नहीं पाया जाता। अधिकृत सत्यापन के अभाव में किया गया अपर लेखन एवं अशुद्ध लेखन भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है।

III. अधिकांशतः विभागों द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार नहीं किया जाता है। सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रविष्टियों का पूर्ण उल्लेख नहीं पाया गया; कतिपय मामलों में कई वर्षों के सेवाकाल/सेवानिवृत्ति की प्रविष्टियाँ अंकित नहीं पायी गयीं। प्रायः सेवा पुस्तिकाओं में छठवें एवं सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रविष्टियाँ त्रुटिपूर्ण पायी गयीं। सेवा पुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टियाँ प्रायः सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं पायी गयीं।

IV. लेखा नियमावली के अनुसार आय-व्यय के परीक्षण हेतु कैश बुक का दैनिक परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है परन्तु लेखा विभाग द्वारा कैश बुक को सम्परीक्षणार्थ उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

भाग-द्वितीय

(वित्तीय वर्ष 2023-24 का लेखा परीक्षण)

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त एवं निस्तारित पेंशन/उपदान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विषयों की समीक्षाः-

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल 98 पेंशन /उपदान तथा 274 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण लेखा विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत किये गये। समस्त पेंशन/उपदान पत्रावलियों के प्रकरणों में सम्परीक्षण के समय दृष्टिगत आपत्तियों से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया।

1. विभागों द्वारा भेजी गयी पत्रावलियाँ अपूर्ण पायी गयीं। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षण में पत्रावलियाँ भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भेजी जाने वाली पत्रावलियों में सभी आवश्यक पत्र-जात संलग्न हैं अथवा नहीं, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया फलस्वरूप अपूर्ण पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षण में भेजी जाती रहीं।
2. पेंशन पत्रावलियों में वेतन तालिकायें अधिकांशतः त्रुटिपूर्ण पायी गयीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें किस आधार पर तैयार किया गया है। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि उन तालिकाओं का मिलान मूल वेतन देयकों से कर लिया गया है तथा शुद्ध पाया गया।
3. लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत अनियमितताओं से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को अवगत कराया गया। अधिकांश पत्रावलियों पर बार-बार आपत्तियाँ करने पर भी उनका निस्तारण नहीं किया गया। लेखा विभाग का दायित्व है कि वह उठाई गयी आपत्तियों के पूर्ण निस्तारण करवाने के पश्चात् ही जाँचोपरान्त पत्रावलियों को लेखा परीक्षण हेतु भेजे, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इसका पालन नही किया गया और पत्रावलियों को बिना जाँचे ही लेखा परीक्षण में भेज दिया गया।
4. कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे से सम्बन्धित प्रकरणों में भी बिना आवश्यक अभिलेख संलग्न किये ही सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाता है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरणों का निस्तारण ससमय किया जाना सम्भव नहीं हो पाता।
5. पूर्व वर्णित कठिनाईयों के अतिरिक्त पेंशन पत्रावलियों को ससमय प्रस्तुत न किया जाना भी एक गम्भीर समस्या है। नियमतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व ही पत्रावलियॉ सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए परन्तु कतिपय प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दो वर्ष उपरान्त भी पेंशन हेतु पत्रावलियॉ प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। यह कटु सत्य है कि सम्बन्धित विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा यदि पूर्ण सहयोग किया जाये तो पेंशन/उपदान के मामलों के निस्तारण में शीघ्रता सम्भव है।

2. नगर निगम की वित्तीय स्थिति वर्ष 2023-24

(क)-प्रारंभिकः-

लेखा विभाग द्वारा अत्यधिक विलम्ब से उपलब्ध कराये गये असत्यापित वार्षिक लेखा विवरण पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रारम्भिक अवशेष (वास्तविक):-**4300266457.83**

आय

मद	प्राविधानित आय	वास्तविक आय
राजस्व लेखा	877950000.00	7032136035.97
पूंजी लेखा	34655500000.00	3524647342.00
उच्चन्त लेखा	303400000.00	416537375.10
महायोग	12546850000.00	10973320753.07

उपर्युक्त आय (विभिन्न मदों में) नगर निगम गाजियाबाद के वार्षिक लेखा विवरण में उल्लिखित है।

व्यय

मद	प्राविधानित व्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व लेखा	8056710000.00	5304918297.26
पूंजी लेखा	6871700000.00	3288685421.00
उच्चन्त लेखा	303900000.00	398867611.00
महायोग	15232310000.00	8992471329.26

उपर्युक्त व्यय (विभिन्न मदों में) नगर निगम गाजियाबाद के वार्षिक लेखा विवरण में उल्लिखित है।

रोकड़बही का अन्तिम अवशेषः–6281115881.64

(ख) वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय एवं व्यय के लेखों पर सम्परीक्षण टिप्पणी:–

आय पक्ष

लेखा शीर्षक	लेखा मद	बजट तखमीना (2023–24)	कुल आय वास्तविक वर्ष (2022–23)	कुल आय वास्तविक वर्ष (2023–24)	पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आय में कमी	
1	2	3	4	5	धनांक	प्रतिशत
					6(4-5)	
2.5.2	दुकान प्रीमियम	3000000.00	2200000.00	0.00	2200000.00	100
2.13.2	पार्किंग	10000000.00	17625512.00	9731869.00	7893643.00	44.78533
4.2.2	पानी का टैंकर	2000000.00	874600.00	559500.00	315100.00	36.0279
4.8	स्वच्छता सम्बन्धी अन्य प्राप्तियाँ (कूड़ा विकय से आय)	20000000.00	20299310.00	10370503.00	9928807.00	48.91204
9.2.5	सांई मन्दिर से प्राप्त आय	1500000.00	210440.00	187163.00	23277.00	11.06111
9.2.7	जल संयोजन	1000000.00	2888106.00	1820539.00	1067567.00	36.96426
	योग	37500000.00	44097968.00	22669574.00	21428394.00	48.5927

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखा विवरण के अवलोकन से विदित हुआ है कि विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपर्युक्त मदों में अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त हुई।

उपर्युक्त तालिका के विभिन्न लेखा मदों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 21428394.00/- (रू0 दो करोड़ चौदह लाख अठ्ठाईस हजार तीन सौ चौरानवे मात्र) अर्थात लगभग 48.59 प्रतिशत की कम आय प्राप्त हुई। ध्यातव्य है कि उपर्युक्त मदो के कुल बजट अनुमान 37500000.00 मात्र के सापेक्ष मात्र 60.45 प्रतिशत आय हुई, जो निश्चित रूप से चिन्तनीय विषय है।

I. लेखाशीर्षक 2.5.2 दुकान प्रीमियम से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 100 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

II. लेखाशीर्षक 2.13.2 पार्किंग से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 44.78 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 97.31 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

III. लेखाशीर्षक 4.2.2 पानी का टैंकर से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 36.03 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 27.97 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

IV. लेखाशीर्षक 4.8 स्वच्छता सम्बन्धी अन्य प्राप्तियाँ (कूड़ा विक्रय से आय) से आय में पिछले वर्ष की अवधि के तुलना में 48.91 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 51.85 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

V. लेखाशीर्षक 9.2.5 सांई मन्दिर से प्राप्त आय से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 11.06 प्रतिशत तथा वजट अनुमान के सापेक्ष 12.48 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आय प्राप्त होने से स्पष्ट है की इनकी प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास नहीं किये गये।

व्यय पक्ष

आलोच्य अवधि 2023-24 में विगत वर्ष 2022-23 की तुलना में निम्नांकित मदों के अधीन अधिक व्यय हुआ है:-

लेखा शीर्षक	लेखा मद	बजट अनुमान (2023–24)	कुल व्यय वास्तविक वर्ष (2022–2023)	कुल व्यय वास्तविक (2023–24)	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि	
1	2	3	4	5	धनांक	प्रतिशत
					6(5-4)	
2.1(क)IIIA	नलकूपों आदि का ठेके पर संचालन एवं अनुरक्षण कार्य	80000000.00	66245499.00	79729909.00	13484410.00	20.35521
2.1(क)IIIB	पाईप लाईन मरम्मत	40000000.00	14191074.00	29934982.00	15743908.00	110.9423
2.1(क)IIIC	हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर	16000000.00	4936700.00	6408647.00	1471947.00	29.81642
2.1(क)IIID	सीवरेज पम्पिंग प्लांट का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य, डी0जी0 एवं डीजल रहित	2500000.00	0.00	105600.00	105600.00	100
2.1(क)IIIE	सीवर व्यवस्था	10000000	3847871	4299400.00	451529.00	11.73452
2.1(क)IVB	नालों के रेमिडिएशन का कार्य	10000000.00	1638300.00	4911302.00	3273002.00	199.7804
2.1(ख)IVB	नयी पाईप लाईन	40000000.00	14546120.00	30178842.00	15632722.00	107.47
2.1(ख)IVC	नलकूप रिबोर एवं स्थापना	56000000.00	22930490.00	31595281.00	8664791.00	37.7872
2.1(ख)IVD	शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना हेतु	70000000.00	12980824.00	56524693.00	43543869.00	335.4476
2.3(क)C	ठेका/अस्थाई श्रमिकों से सफाई कार्य	660000000.00	574883523	659614425.00	84730902.00	14.73879
2.3(क)E	शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्र का सफाई कार्य	196000000.00	14977397.00	191539737.00	176562340.00	1178.859
2.3(घ)C	नालों की सफाई का कार्य एवं शिल्ट उठाना	10000000.00	2565140.00	5883053.00	3317913.00	129.3463
4.1(क)B	ठेके पर अनुरक्षण कार्य	43000000.00	27662557.00	31190076.00	3527519.00	12.75196
4.1 (ख)	अनुरक्षण कार्य स्टोर सामग्री उपकरणों का रख-रखाव	70000000.00	15491824.00	39848383.00	24356559.00	157.222
4.1 (घ)A	शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु	5000000.00	0.00	34300.00	34300.00	100
4.4(3)	विद्युत बिलों का भुगतान	5000000.00	37518.00	401073.00	363555.00	969.0149
4.4(5)	शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्र के पार्क के विकास हेतु	20000000.00	12830040.00	15288463.00	2458423.00	19.16146
4.4(6)	पार्कों की क्षतिग्रस्त वाउन्ड्रीवाल एवं फुटपाथ आदि का निर्माण एवं मरम्मत कार्य।	150000000.00	1798200.00	32433352.00	30635152.00	1703.657

4.4(7)	ईंधन पर व्यय	35000000.00	31714337.00	34264788.00	2550451.00	8.04195
5.2	भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य	20000000.00	650327.00	1783517.00	1133190.00	174.2493
5.3	वार्डों के अनुरक्षण कार्य एवं मार्ग एवं सड़क निर्माण कार्य	543800000.00	276225634.00	314886677.00	38661043.00	13.99618
5.4	स्टोर	40000000.00	423000.00	445436.00	22436.00	5.304019
5.6	मलिन बस्ती/शहरी गरीबी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु।	60000000.00	1005200.00	9472507.00	8467307.00	842.3505
5.7	आकस्मिक एवं अतिवृष्टि सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु	20000000.00	0.00	2575826.00	2575826.00	100
6.2(ग)	पुस्तकालय, भवन मरम्मत आदि	5000000.00	154979.00	217688.00	62709.00	40.4629
9.3B	अधिवक्ता फीस	20000000.00	7777051.00	13568035.00	5790984.00	74.46247
9.3C	विविध व्यय (कोर्ट फीस आदि)	500000.00	53539.00	145136.00	91597.00	171.0846
9.4.2	सामान्य स्टोर	40000000.00	29797206.00	36830395.00	7033189.00	23.60352
9.4.3	टेलीफोन	3000000.00	1979846.00	2519388.00	539542.00	27.25172
9.4.5	सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान एवं अनुग्रह राशि	4000000.00	770017.00	1141539.00	371522.00	48.24855
9.4.10	ठेके पर रखे गये तकनीकी कर्मियों पर व्यय	80000000.00	65492911.00	79976178.00	14483267.00	22.11425
9.4.13	श्रमिकों पर व्यय (गऊशाला)	15000000.00	10000000.00	10540519.00	540519.00	5.40519
10.2	ब्याज	146200000.00	118477571.00	121500000.00	3022429.00	2.551056
10.3	म्यूनिसिपल बॉण्ड से सम्बन्धित कंसलटेन्सी व फीस	30000000.00	11293660.00	18270242.00	6976582.00	61.77432
	योग	2289800000.00	1151361625.00	1648559238.00	520681034.00	45.22307

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 05 मदें ऐसी हैं जिनमें आलोच्य अवधि 2023–24 में अधिक व्यय हुआ है, जो इस प्रकार हैं:–

स्वच्छता (गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अुनरक्षण कार्यों का अवशेष) (9.1D), वार्डों के अनुरक्षण कार्य एवं मार्ग एवं सड़क निर्माण कार्य (5.3), ईंधन पर व्यय (2.3(घ)F), पार्क (गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अुनरक्षण कार्यों का अवशेष) (9.1E), शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना हेतु (2.1(ख)IVD),अतएव मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेश के आलोक में व्यय पर नियन्त्रण रखा जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त निम्न मदों में कोई व्यय नहीं हुआ है:–

मैनहॉल मरम्मत (2.1(क)IIIF), टयूबवेलों के विद्युत बिलों का भुगतान (2.1(ख)4IVF), रात्रि कालीन सफाई कार्य (2.3कD) पार्कों के अन्दर प्रकाश व्यवस्था हेतु (4.1घB), रोड कटिंग से प्राप्त आय से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत (5.8), विद्यालय की अवस्थापना सुविधाएं (6.2(ख)) खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि (6.2(घ)), निगम की भूमियों के रख रखाव पर व्यय (9.2B), औधोगिक क्षेत्रों में कराये गये विकास कार्य (9.5) माननीय सदन/मा0कार्यकारिणी/मा0महापौर, प्राथमिकता के अन्य विकास कार्य (9.6), कर्मचारी कल्याण निधि (12.3), अन्य (उच्चंत खाता) (12.4)।

उपर्युक्त लेखा मदों के लिए आवंटित कुल बजट तखमीने की धनराशि का उपयोग अपेक्षित है।

शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से व्यय

आलोच्य अवधि 2023–24 में विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से व्यय की स्थिति निम्नवत है:–

लेखा शीर्षक	लेखा मद	बजट अनुमान (2023–24)	कुल व्यय वास्तविक वर्ष (2022–2023)	कुल व्यय वास्तविक (2023–24)	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि / कमी
1	2	3	4	5	धनांक
					6(5-4)
11.1.1(क)	14 वॉ वित्त	152000000.00	267063118.00	77651987.00	-189411131.00
11.1.1(ख)	15 वॉ वित्त	4486500000.00	1556788985.00	1846875564.00	290086579.00
11.1.1(ग)	सांसद निधि एवं विधायक निधि	3000000	0.00	0.00	0.00
11.1.2(क)	आकस्मिक कार्यों के सापेक्ष प्राप्त धनराशि	88000000.00	0.00	65188293.00	65188293.00
11.1.2(ख)	नगरीय सड़क सुधार योजना	125000000.00	0.00	0.00	0.00
11.1.2(ग)	नगरीय जल निकासी योजना	17000000.00	0.00	0.00	0.00
11.1.2(घ)	कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु योजना	29000000.00	0.00	31259657.00	31259657.00
11.1.2(च)	स्मार्ट सिटी	470000000.00	157289506.00	228589998.00	71300492.00
11.1.3(क)	अमृत योजना	25000000.00	0.00	0.00	0.00
11.1.3(ख)	स्वच्छ भारत मिशन	80000000.00	47928822.00	346767755.00	298838933.00
11.1.3(ग)	यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी	95000000.00	0.00	0.00	0.00
	योग	5370500000.00	1981141609.00	2249565499.00	268423890.00

इसके अतिरिक्त निम्नांकित मदों में आलोच्य अवधि 2023-24 में कोई व्यय नहीं हुआ है, जो इस प्रकार है:-

सांसद निधि (11.1.1(ग)), नगरीय सड़क सुधार योजना (11.1.2(ख)), नगरीय जल निकासी योजना (11.1.2(ग), विधायक निधि (11.1.2(ड)), अमृत योजना (11.1.3(क)), यू.आई.डी.एस.एम.टी. (11.1.3(ग))।

नगर निगम की अच्छी छवि के लिए शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से व्यय की निर्धारित निधियों के समुचित उपयोग पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस ओर शासन तथा नगर निगम प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

विशेष आपत्ति/साधारण आपत्ति/पत्र

1. विशेष आपत्ति

नगर आयुक्त महोदय

विषयः—नगर निगम की आय से सम्बन्धित पत्रावलियों को सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144 के अन्तर्गत मुख्य नगर लेखा परीक्षक को नगर निगम के समस्त लेखे और उनसे सम्बद्ध समस्त अभिलेख एवं पत्र—व्यवहार प्राप्त होने चाहिए। साथ ही उ0प्र0 नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 75(2) एवं 75(3) में भी उल्लिखित है कि समस्त प्राप्तियों की; जैसे ही वे सामान्य रोकड़ बही के लेखे में दर्ज की जाएँ; परीक्षा की जायेगी, सहायक पुस्तकों तथा लेखों की परीक्षा प्रतिदिन अथवा मास के अंत में; जैसा भी सुविधापूर्ण हो; की जा सकती है। उक्त नियमों के अनुपालनार्थ शासनादेश संख्या—239/नौ—4—12—13, दिनाङ्क 16 फरवरी 2012 द्वारा निगम की नैत्यिक सम्परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किये जा चुके हैं, परन्तु नगर निगम नैत्यिक सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जा रही पत्रावलियों के अवलोकन से संज्ञानित हुआ है कि प्रस्तुत समस्त पत्रावलियाँ नगर निगम के व्यय से सम्बन्धित हैं। नगर निगम की कर एवं करेत्तर आय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ; विशेषतः गृहकर, सम्पत्ति, पार्किंग, विज्ञापन सम्बन्धी; सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत करने हेतु मौखिक एवं लिखित अपेक्षा के उपरांत भी निम्नलिखित अभिलेखों को सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो निगम की वित्तीय क्षति एवं सम्बन्धित द्वारा सम्भावित कदाचार का संकेतक हैः—

गृहकर वसूली की स्थिति दयनीय है, यथा बजट 2022—23 में इस हेतु मात्र रू0 1,36,00,00,000/— (एक अरब छत्तीस करोड़ रूपये मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रू0 70,81,09,184/— (सत्तर करोड़ इक्यासी लाख नौ हजार एक सौ चौरासी रूपये मात्र) की वसूली की गई अर्थात् प्राविधानित आय के सापेक्ष मात्र 47 प्रतिशत की आय प्राप्त की गई, जो नगर निगम के वित्तीय हितों के प्रति चिन्ताजनक है। सूच्य है कि नगर निगम के बजट हेतु कर विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना में कर की मूल माँग तथा अधिशेष माँग के अलग—2 मद निर्धारित नहीं किये गये हैं, जिससे आवासीय, अनावासीय, सरकारी, अर्द्धसरकारी, औद्योगिक तथा अन्य सम्पत्तियों की वास्तविक, उपकर (Cess) तथा तत्सम्बन्धी अन्य करों की माँग की वास्तविक सूचना प्राप्ति सम्भव नहीं हो पा रही है। साथ ही लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अनेकशः अपेक्षा किये जाने के उपरान्त भी कर विभाग द्वारा माँग एवं समाहरण पंजिका (Demand/Collection Register) तथा आय से सम्बन्धित पत्रावलियाँ उपलब्ध न कराये जाने से परीक्षण भी किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

2. नगर निगम की चल—अचल सम्पत्तियों का विवरण भी अद्यतन तिथि तक सम्परीक्षणार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया है। बजट के अनुसार नगर निगम की सम्पत्तियों में (A) भवन एवं दुकान मद सं0 2.3A में प्राविधानित आय रू0 10,00,00,000/—(दस करोड़ रूपये मात्र) के सापेक्ष कुल आय रू0 1,50,49,202/—(एक करोड़ पचास लाख उनचास हजार दो सौ दो रूपये मात्र)

दर्शायी गयी है जो प्राविधानित आय का मात्र 15 प्रतिशत है। इसी प्रकार (B) अस्थायी प्रयोग भूमि (नर्सरी) मद सं0 2.4B में वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित आय रू0 80,00,000/– (अस्सी लाख रूपये मात्र) है जिसके सापेक्ष आय रू0 90,96,152/– (नब्बे लाख छानवे लाख एक सौ बावन रूपये मात्र) है,इसके उपरान्त भी 2023–24 का प्राविधानित बजट 80,000,00/– मात्र ही रखा गया है। (C) शैक्षिक संस्थानों से शुल्क तथा अन्य राजस्व मद सं0 (2.11) में 2022–23 में प्राविधानित आय रू0 20,00,000/–(बीस लाख रूपये मात्र) के सापेक्ष रू0 20,79,078/– (बीस लाख उन्यासी हजार अठहत्तर रूपये मात्र) आय हुई थी परन्तु 2023–24 के प्राविधानित बजट में पुनः आय की मांग रू0 20,00,000/–(बीस लाख रूपये मात्र) ही रखी गयी है।

सूच्य है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा पूर्व में भी नगर निगम के भवन, भूखण्डों दुकानों की आय एवं आवंटन से सम्बन्धित पत्रावलियों, रोकड़बही को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती रही है परन्तु इन अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक तथा अनियमितता का संकेतक है।

3. नगर निगम में पार्किंग मद सं0 2.13.2 में प्राविधानित आय रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये मात्र) के सापेक्ष कुल आय रू0 1,76,25,512/–(एक करोड़ छिहत्तर लाख पच्चीस हजार पॉच सौ बारह रूपये मात्र) दर्शायी गयी है जो प्राविधानित आय से 76 प्रतिशत अधिक है, इसके उपरान्त भी प्राविधानित बजट 2023–24 में आय रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये मात्र) रखी गयी है।

ध्यातव्य है कि यदा–कदा परीक्षण/मन्तव्य हेतु प्रेषित पार्किंग सम्बन्धी पत्रावलियों के अवलोकन में दृष्टिगत् हुआ है कि पार्किंग में औद्योगिक एवं अन्य स्थलों में अनुबन्ध क्रमशः 02 वर्ष एवं 01 वर्ष के किये जाते हैं, जिसके आधार अस्पष्ट एवं सन्देहजनक हैं। साथ ही कतिपय प्रकरणों में मात्र आधार कार्ड के आधार पर निविदा प्रकिया में प्रतिभाग किये जाने अथवा बोली समाप्ति के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता से नियमानुसार 25 प्रतिशत बोली राशि का अग्रिम जमा कराये जाने के स्थान पर समस्त प्रतिभागकर्ताओं से 25 प्रतिशत अग्रिम जमा कराये जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो गम्भीररूपेण आपत्तिजनक तथा निविदाप्रक्रिया की अपारदर्शिता का द्योतक है।

प्रस्तुत प्रकरण निगम हित में उत्तर प्रदेश लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में निगम के आय के स्रोतों का पुनरीक्षण करते हुए आय के स्रोतों को बढ़ाया जाना उचित होगा। अतः उक्त स्थिति से संसूचित होते हुए समस्त पत्रावलियों को सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे नगर निगम के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को शून्य किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में लिए गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है।

(विशेष आपत्ति पत्रांकः- 01/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-09.11.2023)

<u>नगर आयुक्त महोदय,</u>

विषयः—कालातीत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में।

नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे से संबंधित पत्रावलियों के सम्परीक्षण में संज्ञानित हुआ है कि उक्त पत्रावलियों में चिकित्सा से संबंधित संलग्न दावे/बिल अत्यधिक पुराने/कालातीत हैं। ध्यातव्य है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 के नियम 11(ख) में प्राविधानित है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु निजी चिकित्सालयों में चिकित्सित "रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाये।" साथ ही नियमावली के नियम 16 के अनुसार "लाभार्थी द्वारा दावा स्वीकर्ता प्राधिकारी को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार की समाप्ति के तीन माह से अपश्चात् परिशिष्ट 'ग' में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा" परन्तु अनेकशः पत्रावलियों में उपर्युक्त अभिलेखों का संलग्नीकरण अप्राप्त है जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है।

2. वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग—5 खण्ड—1 के अनुसार यदि किसी दावे का भुगतान सुसंगत नियमों/शासनादेशों/प्रकिया के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट समयावधि (एक वर्ष) में सुनिश्चित नहीं होता हैं, तो इस प्रकार के कालातीत दावों का भुगतान नियमानुसार तभी किया जाना चाहिए, जब उपर्युक्त लेखा नियम के (प्रस्तर—74) एवं सुंसगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग) द्वारा यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों/दिशा—निर्देशों से किये जाने के दृष्टिगत् सम्यक् विचारोपरान्त <u>भुगतान हेतु औचित्य (अनुमन्यता) को स्वीकार करते हुए उस दावे का प्री—आडिट किये जाने हेतु प्रशासनिक अनुमति/स्वीकृति औपचारिक रूप से प्रदान कर दी जाये।</u> परन्तु ऐसी कोई विशेष स्वीकृति/अनुमति पत्रावलियों में दृष्टव्य नहीं है, जो सम्बन्धित कार्मिक/प्राधिकारी लापरवाही तथा कदाचार का संकेतक है।

3. कार्याधिक्य एवं अप्रत्याशित विलम्ब के समाधान हेतु शासनादेश सं0—3035/पॉच—6—2007, दिनांङ्क 11 फरवरी 2008 के प्रस्तर—2 में उल्लिखित है कि चिकित्सा प्रतिपूर्तिके दावों को जिस सीमा तक स्वीकृत करने के प्राधिकार प्रतिनिधायित किये गये है, उक्त सीमा तक की कार्योत्तर स्वीकृति उन्ही प्राधिकारियों द्वारा की जा सकती है। संगत शासनादेश तथा शासनादेश सं0ए—1—3959/दस—3/1(6)65, दिनांङ्क 23 जनवरी 1986 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कालातीत दावे के साथ अधोलिखित विन्दुओं पर पृच्छा/प्रमाणीकरण संलग्न किया जाना आवश्यक है, जो सामान्यतः पत्रावली में असंलग्न होते हैं—

1. परिस्थिति एवं विशेष कारण जिनके अन्तर्गत दावे का भुगतान इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नही किया जा सका और विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?
2. बिल निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है।

3. बिल पर उचित वर्गीकरण अंकित है।

4. बिल पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अंकित होने चाहिए:–

(A) दावा उचित और अनुमन्य है।

(B) यह दावा पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे पहले उसे आहरित नहीं किया गया है।

(C) कार्यालय अभिलेखों में तत्सम्बन्धी आवश्यक प्रविष्टियॉ कर ली गयी है ताकि दोहरा आहरण सम्भव न होने पाये।

उक्त समस्त बिन्दुओं के अनुसार पत्रावलियों में वांछित अभिलेख/सूचनाएं अप्राप्त हैं जो नितान्त आपत्तिजनक है।

प्रस्तुत प्रकरण निगम हित में उत्तर प्रदेश लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत समस्त कालातीत दावों हेतु उक्त समस्त बिन्दुओं का अनुपालन पत्रावलियों में सामान्यतः अप्राप्त होने के कारण निगम के धन का दुर्व्ययन भी सम्भावित है। अतः उक्त स्थिति में संसूचित होते हुए समस्त पत्रावलियों के नियमसङ्गत अग्रसारणार्थ सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे निगम के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशङ्का को शून्य किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में लिए गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है।

पत्रांकः- वि0/आ0/02/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-02.02.2024

<u>नगर आयुक्त महोदय,</u>

विषयः– विभिन्न विभागों के कार्यों में नियमों/शासनादेशों के पालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

नगर निगम में कराये जा रहे कार्यों; यथा निर्माण,वस्तु,श्रम तथा सेवा आपूर्ति इत्यादि; से सम्बन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में अधोलिखित गम्भीर आपत्तिजनक विसङ्गतियॉ दृष्टिगत् हुई हैं:-

नगर निगम के विभिन्न विभागों विशेषतः उद्यान, जलकल, इत्यादि विभागों में विभिन्न कार्यों की पत्रावलियों के परीक्षण से संज्ञानित हुआ है कि नियमित रूप से कराये जा रहे कार्यों अथवा नये कार्यों हेतु पूर्व स्वीकृत/विभागीय दरों पर ही कार्य कराया जा रहा है, जो शासनादेश सं0ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000, दिनाङ्क 27 अप्रैल 2001 का स्पष्ट उल्लंघन है, उक्त शासनादेश के प्रस्तर ख(6) में उल्लिखित है कि "<u>पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों के लिए 'रिपीट आर्डर' नहीं दिये जाये।</u>" ऐसी परिस्थिति में 'पूर्व स्वीकृत दरों' के आधार पर ही कार्य कराया जाना आपत्तिजनक तथा कदाचार का सङ्केतक है।"

2. उद्यान विभाग की कतिपय पत्रावलियों में दृष्टिगत् हुआ है कि निविदा की परिधि में आने वाले कार्यों हेतु ठेकेदार का चयन सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा बिना किसी उचित प्रक्रिया के स्वयं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका निर्माण कार्य एवं टेण्डर नियमावली 1963 के नियम 12 के अनुसार <u>'किसी निर्माण कार्य या निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए कोई ठेका तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस द्वारा और</u>

प्रेस से विज्ञापन द्वारा भी मुहरबन्द टेण्डर आमन्त्रित न किये जायें।' परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए ठेकेदार/फर्म का यादृच्छिक चयन न करते हुए व्यक्ति/फर्म विशेष को स्वयं अपने स्तर से ही चयन किये जाने से व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ प्रदान किये जाने की आशङ्का को भी बल मिलता है। बिना किसी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति/संस्था से कार्य लिया जाना वित्तीय नियमों की स्पष्ट अवहेलना तथा गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है।

3. नगर निगम में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों; विशेषतः विशेष निधियों यथा 15वें वित्त इत्यादि; के परीक्षण में ज्ञात हुआ है कि कार्य स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित कराये गये कार्य में सामान्यतः 10% की सीमा से अधिक विचलन तथा मदों में परिवर्तन प्राप्त होता है। विचलन के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका निर्माण कार्य एवं टेण्डर नियमावली 1963 के अनुसार 'स्वीकृत निविदा/कार्य में परिवर्तन उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है, जिसने मूल योजनायें/तखमीने स्वीकृति किये थे।' प्रकृत प्रकरणों में विचलन हेतु कार्य स्वीकर्ता समिति की अनुशंसा अनुपलब्ध है, जो नितान्त आपत्तिजनक तथा सम्बन्धित द्वारा नियमों की अवहेलना का सूचक है।

प्रस्तुत प्रकरण निगम हित में उत्तर प्रदेश लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि विभिन्न कार्यों में सङ्गत फर्म/निविदादाता का प्रतिभाग किया जाना तथा तत्सम्बन्धी नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इस हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता तथा नगर निगम के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशङ्का को शून्य किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में लिए गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है।

पत्रांकः- वि0/आ0/03/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-14.03.2024

नगर आयुक्त महोदय,

विषयः- जेम पोर्टल द्वारा कार्यों को कराये जाने सम्बन्धी नियमों/शासनादेशों के पालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय/ सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लस, जेम को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनाङ्क 23 अगस्त 2017 से अंगीकृत किया है। उक्त शासनादेश तथा तत्क्रम में विभिन्न समयान्तरालों में निर्गत शासनादेशों द्वारा दिये गये अधोलिखित कतिपय सामान्य निर्देशों का अनुपालन नगर निगम में परिलक्षित नहीं हो रहा हैः-

नगर निगम के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आवश्यक सेवाओं हेतु सामग्री क्रय निरन्तर ई-टेण्डरिंग/पूर्व निर्धारित विभागीय दरों के आधार पर किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-24/2020/279/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016, दिनाङ्क 19 जून 2020 के अनुसार यदि कोई वस्तु, सामग्री, सेवा जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो पत्रावली पर विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष स्वयं प्रमाणित करेंगे कि वह वस्तु जेम पर उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रमाणीकरण के पश्चात् ही वह सामग्री ई-टेण्डर के माध्यम से क्रय की जा सकेगी। वर्णित प्रक्रिया के इतर यदि कोई भी अन्य क्रय प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जाएगी।

2. नगर निगम में मैनपावर आउटसोर्सिंग अद्यतन तिथि तक पूर्व निर्धारित निविदा प्रक्रिया से गतिमान है, उक्त हेतु शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016 टी0सी0

दिनाङ्क 25 अगस्त 2020 में स्पष्ट उल्लिखित है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नामित एजेन्सियों के माध्यम से प्रचलित आउटसोर्सिंग व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त आदेश निरस्त करते हुए जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से बिड के माध्यम से ही मैनपावर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जायेगी।

3. उपर्युक्त सेवायोजित कर्मिकों को सेवा प्रदाता द्वारा बदले/कार्यमुक्त किये जाने के प्रकरण भी यदा-कदा संज्ञानित होते रहते है, ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/01-का-2/2019, दिनाङ्क 18 दिसम्बर 2019 के प्रस्तर 3(3) में प्राविधानित है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वयमेव बदल नही सकता। अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात् ही चयनित/कार्यरत कर्मचारियों को सेवाप्रदाता द्वारा हटवाया जा सकेगा।

4. शासनादेश संख्या-9/202/224/18-2-2021-97(ल0उ0)/2016 टी0सी0 दिनाङ्क 06 अप्रैल 2021 के क्रम में लम्बित भुगतान की स्थिति में क्रेता विभाग पर Penal Interest Charge करने की व्यवस्था की गयी है, अतः उक्त स्थिति से बचने हेतु अपेक्षित है कि सामग्री/सेवाओं का क्रय जेम द्वारा कराते हुए समस्त भुगतानों को शासन द्वारा निर्देशित जेम पूल एकाउण्ट के माध्यम से किया जाये, जिससे किसी भी क्रय के समय ही तत्सम्बन्धित भुगतान प्रक्रिया को ससमय निष्पादित किया जाना सम्भव हो सके।

प्रस्तुत प्रकरण निगम हित में उत्तर प्रदेश लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि विभिन्न कार्यों में जेम पोर्टल के प्रयोग द्वारा ही निविदा प्रक्रिया कराया जाना तथा तत्सम्बन्धी नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इस हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता तथा नगर निगम के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशङ्का को शून्य किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में लिए गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है।

पत्रांकः- वि0/आ0/04/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-18.03.2024

नगर निगम प्रशासन को सन्दर्भित पत्र

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

नगर निगम के के नैत्यिक कार्यों के निष्पादनार्थ विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे वाहनों से सम्बन्धित व्यय की पत्रावलियों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि कर विभाग को कतिपय वाहन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त वाहनों की पत्रावलियों के सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सूचनाओं की अपेक्षा है:–

1. जुलाई 2022 से मार्च 2023 के मध्य कर वसूली हेतु कर विभाग/जोनल अधिकारी/कर अधीक्षक/जोनल कार्यालयों को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध/आवंटित वाहनों की पृथक्–पृथक् सत्यापित सूची।
2. कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2022–23 में नगर निगम की कुल मांग एवं प्राप्त किये गये वार्षिक कर की प्रतिमासिक सत्यापित सूची।
3. कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2022–23 में कर अवशेष की मांग एंव प्राप्त किये गये पूर्व कर अवशेष की प्रतिमासिक सत्यापित सूची।

उपर्युक्त समस्त सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सम्परीक्षण कार्य ससमय सम्पन्न किया जा सके।

पत्रांकः–04/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनांक–20.04.2023

प्रभारी नजारत

नगर निगम के के नैत्यिक कार्यों के निष्पादनार्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे वाहनों से सम्बन्धित व्यय की पत्रावलियों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि कर विभाग को कतिपय वाहन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त वाहनों की पत्रावलियों के सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सूचनाओं की अपेक्षा है:–

1. जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कर विभाग/जोनल अधिकारी/कर अधीक्षक/जोनल कार्यालयों को अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये वाहनों की पृथक्–पृथक् सत्यापित सूची।
2. उक्त वाहनों के सापेक्ष नगर निगम द्वारा प्रदत्त वाहन किराये तथा प्रयुक्त ईंधन के व्यय के धनाङ्क एवं मात्रा की पृथक्–पृथक् सत्यापित सूची।
3. नगर निगम के अधिकारियों/कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य विभागों/प्रशासन को उपलब्ध कराये गये वाहन एवं एतत्सम्बन्धित व्यय की सूची।

उपर्युक्त समस्त सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सम्परीक्षण कार्य ससमय सम्पन्न किया जा सके।

पत्रांकः–06/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनांक–24.04.2023

जोनल प्रभारी (वसुन्धरा, मोहन नगर, कविनगर, सिटी, विजय नगर)

नगर निगम के नैत्यिक कार्यों हेतु मुख्यालय में प्राप्त आय/व्यय के सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अतिरिक्त विभिन्न जोनों में कराये गये कार्यों के आय/व्यय के अभिलेख सम्परीक्षा विभाग को प्रस्तुत नही किये गये है। उक्त समस्त अभिलेखो के विरूद्ध सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सूचना/पत्रावलियाँ अपेक्षित है:–

1. जोनल कार्यालय में प्राप्त आय के विवरण की सूची एवं तत्सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ।
2. प्रत्येक जोन में कुल कितने कार्यरत कार्मिक हैं? स्थाई कार्मिकों/आउट सोर्सिंग श्रमिकों की पटलवार सत्यापित सूची।
3. वित्तीय वर्ष–2022–23 में जोन में जनरेटर/पम्प/वाहन इत्यादि में व्यय किये गये ईधन की सत्यापित मात्रा।
4. वित्तीय वर्ष–2022–23 में प्रत्येक माह प्राप्त कर एवं कर अधिशेष की सूची।

उपर्युक्त समस्त सूचना/पत्रावलियॉ शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे उक्त बिन्दुओं पर वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन शासन को ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

पत्रांकः–09/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनांक–28.04.2023

लेखाधिकारी

नगर निगम में दिनाङ्क 01.04.2005 के पश्चात् नियुक्त/विनियमित केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्यरत स्थायी कार्मिकों; जो नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं; की कतिपय व्यक्तिगत/वेतन पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि उक्त कर्मिकों में से विभिन्न विभागों में कार्यरत अनेकशः कार्मिकों के वेतन से कार्मिक अंशदान (एन0पी0एस0) की कटौती नहीं की जा रही है। ध्यातव्य है कि राज्य सरकार के पूर्व निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, नगर विभाग विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 555/9–1–2019–260सा/18, दिनाङ्क 17 जुलाई 2019 के प्रस्तर 01 में उपर्युक्त अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु आदेशित किया गया था; परन्तु नगर निगम गाजियाबाद में उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन न करते हुए अद्यतन तिथि तक उपर्युक्त कार्मिकों को वेतन के समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे है जो नियमानुकूल नहीं है।

अतः नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित सभी कार्मिकों की अंशदान कटौती नियमानुसार कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे राज्य सरकार/शासन के निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(पत्रांकः–13/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनाङ्कः–18.05.2023)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी।

नगर निगम अधिनियम की धारा 142(2) तथा 144(1) के अनुसार निगम की समस्त आय–व्यय का परीक्षण मुख्य नगर लेखा परीक्षक एवं उसके अधीनस्थ लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

उक्त के संबंध में गाजियाबाद नगर निगम की वित्तीय वर्ष 2022–23 की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid Waste Management) से संबंधित निविदा पत्रावलियां तथा यूजर चार्ज से संबंधित समस्त पत्रावलियां सम्परीक्षा हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि सम्परीक्षणोपरान्त लेखा नियमावली के नियम 77 के अनुसार वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन शासन को ससमय प्रेषित किया जा सके।

पत्रांक :–16/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनांक–07.06.2023

मुख्य अभियन्ता।
महाप्रबन्धक (जल)।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
प्रभारी (उद्यान, कम्प्यूटर, प्रकाश, विधि, कर, अनुज्ञप्ति)।
प्रभारी (नजारत, विज्ञापन, पशु)।

नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे से संबंधित पत्रावलियों के सम्परीक्षण में संज्ञानित हुआ है कि उक्त पत्रावलियों में चिकित्सा से संबंधित संलग्न दावे/बिल अत्यधिक पुराने/कालातीत है। ध्यातव्य है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 के नियम 11(ख) में प्राविधानित है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु निजी चिकित्सालयों में चिकित्सित "रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनाड.क से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाये।" साथ ही नियमावली के नियम 16 के अनुसार "लाभार्थी द्वारा दावा स्वीकर्ता प्राधिकारी को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार की समाप्ति के तीन माह से अपश्चात् परिशिष्ट 'ग' में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा" परन्तु अनेकशः पत्रावलियों में उपर्युक्त अभिलेखों का संलग्नीकरण अप्राप्त है। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–5 खण्ड–1 के अनुसार राज्य सरकार के विरूद्ध यदि किसी दावे का भुगतान सुसंगत नियमों/शासनादेशों/प्रक्रिया के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट समयावधि (एक वर्ष) से सुनिश्चित नही होता है, तो इस प्रकार के कालातीत दावा का भुगतान नियमानुसार तभी किया जाना चाहिए, जब उपर्युक्त लेखा नियम के (प्रस्तर–74) एवं सुंसगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग) द्वारा यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/दिशा–निर्देशों किये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त भुगतान हेतु औचित्य (अनुमन्यता) को स्वीकार करते हुए उस दावे का प्री–आडिट किये जाने हेतु प्रशासनिक अनुमति/स्वीकृति औपचारिक रूप से प्रदान कर दी जाये। कार्याधिक्य एवं अप्रत्याशित विलम्ब के समाधान हेतु शासनादेश सं0–3035/पॉच–6–2007, दिनांड्क 11 फरवरी 2008 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि चिकित्सा प्रतिपूर्तिके दावों को जिस सीमा तक स्वीकृत करने के प्राधिकार प्रतिनिधायित किये गये है, उक्त सीमा तक की कार्योत्तर स्वीकृति उन्ही प्राधिकारियों द्वारा की जा सकती है।

उक्त शासनादेश तथा शासनादेश सं0ए–1–3959/दस–3/1(6)65, दिनांड्क 23 जनवरी 1986 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कालातीत दावे के साथ अधोलिखित बिन्दुओं पर पृच्छा/प्रमाणीकरण संलग्न किया जाना आवश्यक है–

1. परिस्थिति एवं विशेष कारण जिनके अन्तर्गत दावे का भुगतान इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नहीं किया जा सका और विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?
2. बिल निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है।
3. बिल पर उचित वर्गीकरण अंकित है।
4. बिल पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अंकित होने चाहिएः–

(क) दावा उचित और अनुमन्य है।
(ख) यह दावा पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे पहले उसे आहरित नही किया गया।
(ग) कार्यालय अभिलेखों में तत्सम्बन्धी आवश्यक प्रविष्टियॉ कर ली गयी है ताकि दोहरा आहरण सम्भव न होने पाये।

अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित एवं विनिर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी कालातीत दावों की कार्योत्तर स्वीकृति उपर्युक्त नियमों/शासनादेशो के क्रम में करते हुए अग्रसारण करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में शासकीय धन के दुर्व्ययन का समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकारी का होगा।

पत्रांक :–17/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनांक–07.06.2023

<u>मुख्य अभियन्ता।</u>
<u>महाप्रबन्धक (जल)।</u>
<u>नगर स्वास्थ्य अधिकारी।</u>
<u>प्रभारी (उद्यान, कम्प्यूटर, प्रकाश, विधि, कर, अनुज्ञप्ति)।</u>
<u>प्रभारी (नजारत, विज्ञापन, पशु)।</u>

नगर निगम की नैत्यिक सम्परीक्षा के क्रम में संज्ञानित हुआ है कि नगर निगम की आय से संबंधित आवश्यक कार्यकलापों यथा शुल्क, अनुज्ञप्ति, कर इत्यादि मदों के अर्थदण्डों, शुल्कों/करों के समाहरण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों यथा प्रपत्र–2, प्रपत्र–10 तथा धारा 460 के अन्तर्गत अर्थदण्ड प्राप्ति पत्र का उपयोग किया जाता है। साथ ही निगम के धन के व्ययार्थ विभिन्न स्टोरों में रक्षित सामग्रियों की प्राप्ति तथा डीजल प्राप्ति से सम्बन्धित आहरण पर्ची/अभिलेखों का निर्गमन कार्यो के सुचारू, सम्पादनार्थ किया जाता है। उक्त सम्बन्धी प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि अधिकाशतः आय/व्यय सम्बन्धी प्रपत्रो/सामग्री/पर्ची का निर्गमन बिना किसी सक्षम प्राधिकारी/प्रभारी अधिकारी के सत्यापन के विभागीय लिपिक द्वारा ही कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में उक्त अभिलेखों के छद्म प्रतिरूप से धन/सामग्री/ईधन समाहरण द्वारा नगर निगम की वित्तीय क्षति एवं गवन की सम्भावना की पूर्ण आशङ्का का खण्डन नहीं किया जा सकता। साथ ही उक्त प्रपत्र–पुस्तिकाओं के पूर्ण होने पर सम्परीक्षा कराये बिना ही नगर निगम में पुनर्हस्तगत/जमा कराया जाना भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना का परिचायक तथा आपत्तिजनक है।

अतः उपर्युक्त समस्त प्रप्रत्रों के निर्गमन के पूर्व सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत् सत्यापन एवं पुनर्हस्तगत/ जमा किये जाने के पूर्व सम्परीक्षा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

पत्रांक :–18/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनांक–08.06.202

महाप्रबन्धक (जल)।

नगर निगम के अभिलेखों के नैत्यिक सम्परीक्षणार्थ जलकल विभाग से अधोलिखित सूचनाओं की अपेक्षा है–

1. नगर निगम सीमान्तर्गत अधिष्ठापित एवं जलकल विभाग द्वारा संचालित नलकूपों का जोनवार सत्यापित विवरण।
2. उपर्युक्त नलकूपों के विरूद्ध कार्यरत पम्प आपेरटरों/श्रमिकों की नियुक्ति अवधि सहित सत्यापित सूची ।
3. नलकूपों में वित्तीय वर्ष 2022–23 में केमिकल अर्थिंग कार्य के स्थान एवं धनाङ्क का सत्यापित विवरण।

उक्त समस्त सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित का कष्ट करें, जिससे सम्परीक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सके।

पत्रांक :–20/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनांक–14.06.2023

मुख्य अभियन्ता।
महाप्रबन्धक (जल)।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
प्रभारी (उद्यान, कम्प्यूटर, प्रकाश, विधि, कर, अनुज्ञप्ति)।
प्रभारी (स्वास्थ्य, नजारत, विज्ञापन, पशु)।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–82/डी0/मु0न0ले0परी0/2022–23, दिनांकः– 08/12/2022 तथा 43/डी0/मु0न0ले0परी0/2022–23, दिनांकः– 14/07/2022, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें अधोलिखित अपेक्षा की गयी थीः–

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144 के अन्तर्गत मुख्य नगर लेखा परीक्षक को नगर निगम के समस्त लेखे और उनसे सम्बद्ध समस्त अभिलेख एवं पत्र–व्यवहार प्राप्त होंगे। साथ ही उ0प्र0 नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 75(2) एवं 75(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त प्राप्तियों की; जैसे ही वे सामान्य रोकड़ बही के लेखे में दर्ज की जाएँ; परीक्षा की जायेगी। सहायक पुस्तकों तथा लेखों की परीक्षा प्रतिदिन अथवा मास के अंत में; जैसा भी सुविधापूर्ण हो; की जा सकती है। उक्त नियमों के अनुपालनार्थ शासनादेश संख्या– 239/नौ–4–12–13, दिनाङ्क 16 फरवरी 2012 द्वारा निगम की नैत्यिक सम्परीक्षा हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किये जा चुके हैं, परन्तु नगर निगम नैत्यिक सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जा रही पत्रावलियों के अवलोकन से संज्ञानित हुआ है कि प्रस्तुत समस्त पत्रावलियाँ नगर निगम के व्यय से सम्बन्धित हैं। नगर निगम की कर एवं करेत्तर आय से सम्वन्धित पत्रावलियाँ; विशेषतः उद्यान, सम्पत्ति, पार्किंग, रोड कटिंग, अनुज्ञप्ति, विज्ञापन इत्यादि; अद्यतन तिथि तक सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं जिससे निगम के आय सम्बन्धी अभिलेखों सम्परीक्षा सम्भव नहीं हो पा रही है।

ध्यातव्य है कि वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में निगम के आय के स्रोतों का पुनरीक्षण करते हुए आय के स्रोतों को बढ़ाया जाना उचित होगा। एतदर्थ नगर निगम के आय से सम्वन्धित समस्त पत्रावलियों को सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, सूच्य है कि मौखिक एवं पूर्वोक्त पत्रों के द्वारा लिखित अपेक्षा के उपरांत

भी उपर्युक्त अभिलेखों को सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो निगम की वित्तीय क्षति एवं कदाचार की सम्भावना का संकेतक है। अभिलेखों को सम्परीक्षणार्थ उपलब्ध ना कराये जाने पर किसी प्रकार की वित्तीय क्षति की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्राधिकारी का होगा।

पत्रांक :–21 / डी0 / मु0न0ले0परी0 / 2023–24, दिनांक–14.06.2023

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली के नियम (75) के अनुसार समस्त प्राप्तियों की, जैसे ही वे सामान्य रोकड़ बही के लेखे में दर्ज की जायें, लेखा परीक्षा की जाएगी।

साथ ही नियम (21) के अनुसार रोकड़ बही में प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् चालान माँग और समाहरण रजिस्टर में उपयुक्त स्थान पर चढ़ाकर लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु रखा जाएगा।

उपर्युक्त नियमों को दृष्टिगत रखते हुए सिटी जोन के कार्यालय में सम्परीक्षा के दौरान पाया गया कि माँग एवं समाहरण (Demand & Collection Register)नहीं बनाया गया है जो कि लेखा नियमावली के नियम (21) का उल्लंघन है।

अतः सिटी जोन की माँग वसूली पंजी तैयार कराकर गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की माँग वसूली तथा बकाया की सम्परीक्षा कराए जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

पत्रांक :–23 / डी0 / मु0न0ले0परी0 / 2023–24, दिनांक–21.06.2023

अपर नगर आयुक्त महोदय,

कृपया मृतक स्व0 राजो पत्नी श्री सतपाल के मृतक आश्रित नियुक्ति के संदर्भ में पत्रावली का परीक्षण किया गया परीक्षण में पाया गया कि मृतक की पुत्री श्रीमती लक्ष्मी पत्नी पवन कुमार एवं पौत्र श्री सागर ने नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। पुत्री श्रीमती लक्ष्मी द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक सहायक अभिलेख प्रस्तुत किये गये है। परंतु पौत्र के द्वारा आवेदन के अतिरिक्त कोई भी सहायक अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली में संलग्न पारिवारिक सदस्यता प्रमाण–पत्र में मृतक के पति एवं पुत्री के अतिरिक्त किसी अन्य का उल्लेख नही किया गया है। मृतक के पति श्री सतपाल ने अपने शपथ–पत्र में यह कथन किया है कि उसके पुत्र स्व0 सोदन की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी है एवं मृत्यु पूर्व में वह अविवाहित था अतः मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति उसकी पुत्री को दे दी जाये। पुत्री लक्ष्मी द्वारा अपने शपथ–पत्र में यह कथन किया है कि वह अपने माता–पिता के पास अपने पति के साथ रहती है एवं उनके आश्रित है।

अतः यदि मृतक के पति एवं पुत्री के कथन की पुष्टि भौतिक सत्यापन के आधार पर हो जाती है तो शासनादेशों की व्यवस्थानुसार मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु प्रथम पात्र पुत्री ही होगी उसी के नाम पर विचार किया जाना उचित होगा।

पत्रांक :–28 / डी0 / मु0न0ले0परी0 / 2023–24, दिनांक–28.06.2023

मुख्य अभियन्ता (निर्माण),
महाप्रबन्धक (जल),
नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
अधिकारी/प्रभारी (उद्यान, नजारत, कम्प्यूटर, विधि, प्रकाश, पशुचिकित्सा, वाहन, डीजल, कर, विज्ञापन, सम्पत्ति)।

नगर निगम में कराये जा रहे कार्यों; यथा निर्माण, वस्तु आपूर्ति, श्रम आपूर्ति, सेवा आपूर्ति इत्यादि; से सम्बन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में अधोलिखित गम्भीर विसङ्गतियाँ दृष्टिगत हुई हैं:–

निगम के विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे कार्यों हेतु आगणन चयन पूर्व स्वीकृत दरों/विभागीय दरों पर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0–2147/नौ–02–2011–3 आडिट/2008, दिनाङ्क 10 जून 2011 में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त दरें सामान्यतः लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप होनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी S.O.R. में कतिपय दरें उपलब्ध न होने की दशा में शासनादेश के प्रस्तर 03 में स्पष्ट किया गया है कि "समस्त स्थानीय निकायों में निर्माण कार्य लोक निर्माण द्वारा निर्धारित रेट पर ही सम्पादित कराया जाये जहाँ लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल ऑफ रेट उपलब्ध न हो वहाँ दर लोक निर्माण के सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही कार्य सम्पन्न कराये जाये।" परन्तु अनेकशः कार्यों हेतु विभागीय दरों के माध्यम से ही पूर्ववत्आगणन निर्धारित किये जा रहे है, जो कदाचार का सङ्केतकएवं आपत्तिजनक है।

2. विभिन्न कार्यों की पत्रावलियों के परीक्षण में संज्ञानित हुआ है कि नियमित रूप से कराये जा रहे कार्यों अथवा नये कार्यों को पूर्व स्वीकृत निविदा के आधार पर कराया जा रहा है जो शासनादेश संख्या– ए–1173/दस–2001–10(55)/2000, दिनाङ्क 27 अप्रैल 2001 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर ख(6) में उल्लेख है कि "पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों के लिए 'रिपीट आर्डर' नही दिये जाये।" परन्तु विभागों में इस शासनादेश का अनुपालन न किया जाना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है।

3. कतिपय पत्रावलियों में दृष्टिगत् हुआ है कि निविदा की परिधि में आने वाले कार्यों हेतु ठेकेदारों का चयन सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा बिना किसी उचित प्रक्रिया के स्वयं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका निर्माण कार्य एवं टेण्डर नियमावली 1963 के नियम 12 मेंनिर्देश है किकिसी निर्माण कार्य या निर्माण कार्यों के निष्पादन के कोई ठेका तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस द्वारा और प्रेस से विज्ञापन द्वारा मुहरबन्द टेण्डर आमन्त्रित न किये जायें, किन्तु विभागों में अनकेशः कार्य; पूर्व से कार्य कर रहे ठेकेदारों से ही पूर्व कार्य के आधार पर; ठेकेदारों का यादृच्छिक चयन करके कराया जा रहा है जो प्रत्यक्षतः कार्मिको/ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने हेतु किया गया प्रतीत होता है तथा अनियमितता का स्पष्ट परिचायक है।

अतः भविष्य में एतत्सम्बन्धित पत्रावलियॉ उपर्युक्त नियमों/शासनादेशों के निर्देशों के क्रम में पुष्ट करते हुए ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्परीक्षणार्थ प्रेषित की जायें। अन्यथा की स्थिति में नियमों/शासनादेशों के विचलन के फलस्वरूप नगर निगम के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर सम्बन्धित कार्मिक/प्राधिकारी के विरूद्ध नगर निगम अधिनियम की धारा–152(क) एवं उ0प्र0 नगर महापालिका अधिभार नियमावली 1966 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूपसक्षम प्राधिकारी को 'अधिभार' की संस्तुति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिवेदित कर दी जायेगी।

पत्रांक :–32/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनाङ्क–12.07.2023

लेखाधिकारी

नगर निगम की नियमित सम्परीक्षा में दृष्टिगत् हुआ है कि विभिन्न कर्मिकों/अधिकारियों द्वारा विभिन्न अग्रिम, यात्रा भत्ता इत्यादि सम्बन्धी दावे भुगतानार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। ध्यातव्य है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दावों की कालातीतता/वैधता/व्यपगतता की जाँच हेतु पूर्व सम्परीक्षण अनिवार्य है। साथ ही बिल पर शासनादेश सख्या–ए–1–3959/दस–3/1(6)65, दिनाङ्क 23 जनवरी 1968 में निर्देशित बिन्दुवार प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अपरिहार्य है। चूँकि उक्त सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अद्यतन तिथि तक सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं, ऐसी दशा में किसी अनियमित/कालातीत दावे के भुगतान की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः तत्सम्बन्धी समस्त पत्रावलियों को सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में किसी अनियमित भुगतान होने पर नगर निगम अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

पत्रांक :–38/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनाङ्क–24.07.2023

लेखाधिकारी

नगर निगम के विभिन्न कार्यों के निष्पादनार्थ आउटसोर्सिंग श्रमिकों की आपूर्ति प्राप्त की जाती है। उक्त श्रमिकों के पारिश्रमिकों के भुगतानार्थ प्रस्तुत की जा रही पत्रावलियों को सम्परीक्षाणार्थ प्रेषित नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में श्रमिकों को नियमों/शासनादेशों के आलोक में समस्त लाभ; विशेषतः EPF/ESIC सम्बन्धी; प्रदान किये जा रहे हैं अथवा नहीं, यह स्पष्ट नही हो पा रहा है।

अतः उपर्युक्त के क्रम में विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग कर्मिकों के भुगतान सम्बन्धी समस्त पत्रावलियाँ सम्परीक्षणार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में अनियमित भुगतान होने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को कर दी जायेगी।

पत्रांक :–39/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनाङ्क–25.07.2023

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

भारत सरकार द्वारा पॉलिथीन/सिंगल यूज प्लास्टिक को दिनाङ्क 01.07.2022 से पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 से प्राप्त पत्रांक–706/81–7–2022, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ, दिनाङ्क 14.06.2022 के द्वारा प्रदेश के अंतर्गत दिनाङ्क 29.06.2022 से 03.07.2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, पुनर्चक्रण तथा उसके सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी तरीके से लागू कराये जाने के उद्देश्य से बृहद् जन–जागरूकता अभियान "RACE" (Reduction, Awareness Circular (Solution) & (Mass) Engagement) एवं प्रदेश को दिनाङ्क 30.06.2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त घोषित करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य मिशन निदेशक, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त कार्य हेतु सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन में दृष्टिगत् हुआ है कि तत्सम्बन्धित नुक्कड नाटकों के मंचन का कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2018 की पूर्व स्वीकृत दरों पर मैसर्स मित्र रंग मंच, दिल्ली से दिनाङ्क 29.06.2022 से 30.07.2022 तक 05 दिवसों में 03 नाटक प्रतिदिन कराये जाने पर कुल 15 नुक्कड नाटकों का मंचन

कराया गया। फर्म द्वारा किये गये कार्यों के जियोटैग फोटो; जिनका सत्यापन क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एवं जोनल सेनेटरी ऑफिसर द्वारा किया गया है, पत्रावली में संलग्न हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन से प्राप्त आदेश पीएमयू/6106/427(11)/21 दिनाङ्क 24.06.2022 के द्वारा अंकन रूपये 5,00,000/– की धनराशि आवंटित की गयी थी। अतः उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यों की समस्त पत्रावलियाँ अविलम्ब सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें, जिससे किसी प्रकार के अनियमित भुगतान की सम्भावना को शून्य किया जा सके।

पत्रांक :–40/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनाङ्क–26.07.2023

लेखाधिकारी

नगर निगम लेखा नियमावली के क्रम में शासन को प्रेषित की जाने वाली "आडिट बैलेन्स शीट" एवं अन्य नैत्यिक कार्यों के कराधान इत्यादि कार्यों हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं। उक्त सेवाओं के प्रतिफल में सम्बन्धित आउटसोर्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट को प्रदान किये जा रहे मानदेय/कार्य आवंटन इत्यादि सम्बन्धी पत्रावलियॉ सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं, जिससे भुगतान एवं कार्यादेश प्रदत्त किये जाने के सुस्पष्ट आधार ज्ञात नहीं हो पा रहे हैं।

अतः उपर्युक्त सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें जिससे किसी प्रकार के अनियमित भुगतान की सम्भावना को समाप्त किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांक :–41/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनाङ्क–26.07.2023

लेखाधिकारी

संपरीक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत कर्मचारी की पेंशन/उपादान संबधीं पत्रावलियाँ का निस्तारण सतत् रूप से किया जा रहा है। पत्रावलियों के परीक्षण में यह पाया गया है कि कतिपय पत्रावलियाँ अपूर्ण प्रपत्रों के साथ सम्परीक्षा में प्रेषित कर दी जाती है। अपूर्ण पत्रावलियों के कारण उक्त पत्रावलियों को आपत्ति के साथ पुनः वापस करना पड़ता है जिसके कारण सेवानिवृत कर्मिकों के देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से पेंशन/उपादान संबधीं पत्रावलियों हेतु एक विस्तृत चेक–लिस्ट लेखा विभाग में पत्रांक–46/डी0/मु0न0ले0परी0/2021–22, दिनाङ्क–12/08/2021 को प्रेषित की गयी थी परंतु उक्त चेक–लिस्ट का संज्ञान लिये बिना ही पेंशन विभाग द्वारा पत्रावलियाँ सम्परीक्षा विभाग में प्रेषित कर दी जाती है। साथ ही पत्रावलियों में विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी पूर्णतः स्पष्ट नही होता है (विशेषतः सम्पत्ति विभाग)। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसके संबधं में समय–समय पर पत्रावलियों में आपत्ति की गयी है। इसके लिए आवश्यक है अनापत्ति पत्र स्पष्ट होना चाहिए एवं जारी कर्ता के मोहर के साथ हस्ताक्षरयुक्त होना चाहिए।

कृपया उक्त के संबधं में संबधिंत को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों में होने वाले अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके एवं त्वरित निस्तारण किया जा सके।

पत्रांक :–43/डी0/मु0न0ले0परी0/2023–24, दिनाङ्क–26.07.2023

प्रभारी सम्पत्ति

कृपया अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकः–68/डी0/मु0न0ले0परी0/2021–2022, दिनाङ्कः– 09.12.2021, पत्रांकः–50/डी0/ मु0न0ले0परी0/2021–2022, दिनाङ्कः– 16.09.2021 तथा पत्रांकः–45/डी0/मु0न0ले0परी0/2021–2022, दिनाङ्क–10.08.2021, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सम्पत्ति विभाग के अधोलिखित अभिलेख सम्परीक्षणार्थ सम्परीक्षा में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी जो अद्यतन तिथि तक परीक्षण हेतु उपलब्ध नही कराये गये हैं।

नगर निगम के कार्मिकों को आवंटित आवास जिन्हें उनके द्वारा स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति/पदच्युति/मृत्यु होने के उपरांत भी अद्यतन तिथि तक रिक्त नही किया गया है, उक्त परिस्थिति में सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सहायक अभिलेखों की अपेक्षा है:-

1. नगर निगम के स्वत्वाधीन समस्त आवासीय भवनों की सत्यापित सूची/रजिस्टर।
2. नगर निगम के स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त/पदच्युत/मृत कार्मिकों की सत्यापित सूची; जिन्होने आवंटित आवास अद्यतन तिथि तक रिक्त नहीं किया है।
3. वर्तमान समय में अध्यासित समस्त केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित अधिकारियों/कर्मचारियों की सत्यापित सूची।

उपर्युक्त सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 45 एवं तत्क्रम में महामहिम राज्यपाल द्वारा मूल नियम 45 के अन्तर्गत बनाये गये नियम 18 के अनुसार नियमसंगत सम्परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पत्रांकः- 49/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-09.08.2023

सम्पत्ति अधीक्षक

कृपया अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक संख्याः–49/डी0मु0न0ले0परी0/2023–2024, दिनाङ्कः–09.08.2023, पत्रांकः–68/डी0/मु0न0ले0परी0/2021–2022, दिनाङ्कः–09.12.2021 पत्रांकः–50/डी0/मु0न0ले0परी0/2021–2022, दिनाङ्कः–16.09.2021,तथा पत्रांकः–45/डी0/मु0न0ले0परी0/2021–22 दिनाङ्क–10.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सम्पत्ति विभाग के अधोलिखित अभिलेख सम्परीक्षणार्थ सम्परीक्षा में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी जो अद्यतन तिथि तक परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

नगर निगम के कार्मिकों को आवंटित आवासों; जिन्हें उनके द्वारा स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति/पदच्युति/मृत्यु होने के उपरांत भी अद्यतन तिथि तक रिक्त नही किया गया है, के सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सहायक अभिलेखों की अपेक्षा है:-

1. नगर निगम के स्वत्वाधीन समस्त आवासीय भवनों की सत्यापित सूची/रजिस्टर।
2. नगर निगम के स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त/पदच्युत/मृत कार्मिकों की सत्यापित सूची; जिन्होने आवंटित आवास अद्यतन तिथि तक रिक्त नहीं किया है।
3. वर्तमान समय में अध्यासित समस्त केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित अधिकारियों/कर्मचारियों की सत्यापित सूची।

ध्यातव्य है कि उक्त अभिलेख मौखिक एवं लिखित रूप से माँगे जाने के उपरान्त भी अद्यतन तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो सम्बन्धित कार्मिक की सम्भावित अनियमितता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः उपर्युक्त सूचना/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 45 एवं तत्क्रम में महामहिम राज्यपाल द्वारा मूल नियम 45 के अन्तर्गत बनाये गये नियम 18 के अनुसार नियमसंगत सम्परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके, अन्यथा की स्थिति में किसी अनियमितता के होने की दशा में नगर निगम अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से सम्बन्धित के विरूद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

पत्रांकः- 55/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-17.08.2023

<u>लेखाधिकारी</u>

सम्परीक्षा विभाग द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 142(2) के अनुपालन में माननीय कार्यकारिणी के दो सदस्यो के हस्ताक्षरार्थ मासिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सत्यापित मासिक आय-व्यय सार की आवश्यकता है। मौखिक रूप से कई बार मांगे जाने के बावजूद भी अद्यतन तिथि तक जुलाई मास का लेखा उपलब्ध नही कराया गया है।

अतः जुलाई मास का मासिक आय-व्यय सार उपलब्ध कराने हेतु तथा आगामी मासों का आय-व्यय सार विलम्बतम अग्रिम दिनाङ्क 10 तक प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे मासिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन माननीय कार्यकारिणी के समक्ष ससमय प्रस्तुत किया जा सके, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक का होगा।

पत्रांकः- 59/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-09.08.2023

<u>लेखाधिकारी</u>

कार्यालय सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद के कार्यवृत्त पत्रांक 242/अधि0/2023-24 दिनाङ्क 11.09.2023 के बिन्दु संख्या 09 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो शहरी आजीविका मिशन केन्द्र द्वारा कार्यरत कर्मचारी के समय से पी0एफ0 जमा नही किये जाने के सम्बन्धित है। उक्त के सन्दर्भ में अग्रिम कार्यवाही हेतु अधोलिखित सूचनाओ/अभिलेखों की अपेक्षा हैः-

1. शहरी आजीविका मिशन से आउटसोर्स समस्त कार्मिकों की विभागवार पृथक्-पृथक् सत्यापित सूची।
2. उक्त सूची के विरूद्ध समस्त कार्मिकों की योग्यता एवं माह जनवरी, 2023 से माह जून, 2023 तक प्रदत्त पारिश्रमिक/ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी की सत्यापित सूची।
3. समस्त कार्मिकों की नियुक्ति/योग्यता सम्बन्धी अभिलेखों की मूल पत्रावलियाँ।

समस्त अभिलेखों/सूचनाओं को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे नगर आयुक्त महोदय को अग्रेत्तर कार्यवाही से संसूचित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 65/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-12.09.2023

प्रभारी कन्ट्रोल रूम, आई0टी0सेल

नगर आयुक्त महोदय के आदेश संख्या 1581/1/न0आ0/ 2023 दिनाङ्क 11 सितम्बर 2023 के क्रम में; जो नगर निगम के कॉल सेन्टर संचालन हेतु अधिकृत किये गये फर्म मेसर्स इन्फोएशिया सिस्टम से सम्बन्धित है; सम्बन्धित फर्म से कराये जा रहे कार्यों का परीक्षण कराये जाने हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त कार्यों के परीक्षण हेतु फर्म मैसर्स इन्फोशिया सिस्टम से संचालित कॉल सेण्टर, कार्मिकों एवं कार्यों से सम्बन्धित मूल/प्रतिहस्ताक्षरित पत्रावलियॉ समिति के समक्ष अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे नगर आयुक्त महोदय को उपर्युक्त आख्या ससमय प्रस्तुत किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 66/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-13.09.2023

प्रभारी नजारत

नगर निगम के नैत्यिक कार्यों के निष्पादनार्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे सरकारी वाहनों की पत्रावलियों के सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सूचनाओं की अपेक्षा हैः–

1. जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक नजारत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सरकारी वाहनों की सत्यापित सूची।
2. उक्त वाहनों के सापेक्ष नगर निगम द्वारा उक्त कालावधि में प्रयुक्त ईंधन के व्यय के धनाङ्क एवं मात्रा तथा चली गयी मासिक दूरी की पृथक्–पृथक् सत्यापित सूची।
3. सम्बन्धित वाहनों के सापेक्ष कार्यरत स्थाई/आउटसोर्स वाहन चालकों की सूची एवं उनको यथास्थिति प्रदत्त वेतन/पारिश्रमिक की सत्यापित सूची।

उपर्युक्त समस्त सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सम्परीक्षण कार्य ससमय सम्पन्न किया जा सके।

पत्रांकः- 68/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-18.09.2023

प्रभारी कन्ट्रोल रूम, आई0टी0सेल

कृपया अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकः-66/डी0/मु0न0ले0परी0/2021-2022, दिनाङ्कः-13.09.2023, एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्रांकः-211/निर्माण/2023-24, दिनाङ्क 13 सितम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नगर आयुक्त महोदय के आदेश संख्या 1581/1/न0आ0/ 2023 दिनाङ्क 11 सितम्बर 2023 के क्रम में; जो नगर निगम के कॉल सेन्टर संचालन हेतु अधिकृत किये गये फर्म मेसर्स इन्फोएशिया सिस्टम से सम्बन्धित है; सम्बन्धित फर्म से कराये जा रहे कार्यों का परीक्षण कराये जाने हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। एतत् सम्बन्धी पत्रावलियाँ अद्यतन तिथि तक समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः पृष्ठांकित पत्र इस आशय से संलग्न कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त कार्यों के परीक्षण हेतु फर्म मैसर्स इन्फोशिया सिस्टम से संचालित कॉल सेण्टर, कार्मिकों एवं कार्यों से सम्बन्धित मूल/प्रतिहस्ताक्षरित पत्रावलियॉ समिति के समक्ष अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे नगर आयुक्त महोदय को उपर्युक्त आख्या अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 71/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-20.09.2023

<u>लेखाधिकारी</u>

सम्परीक्षा विभाग को नगर निगम अधिनियम की धारा 142(2) के अनुपालन में माननीय कार्यकारिणी के दो सदस्यो के हस्ताक्षरार्थ मासिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सत्यापित मासिक आय-व्यय सार की अपेक्षा है। मौखिक रूप से तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकः- 59/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनाङ्क 23 अगस्त 2023 के द्वारा आगामी मासों का आय-व्यय सार विलम्बतम अग्रिम दिनाङ्क 10 तक प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अद्यतन तिथि तक माह अगस्त 2023 के आय-व्यय सार का लेखा उपलब्ध नही कराया गया है।

अतः अगस्त मास का मासिक आय-व्यय सार उपलब्ध कराने हेतु तथा आगामी मासों का आय-व्यय सार विलम्बतम अग्रिम दिनाङ्क 10 तक प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मासिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन माननीय कार्यकारिणी के समक्ष ससमय प्रस्तुत किया जा सके, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक का होगा।

पत्रांकः- 72/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-21.09.2023

<u>प्रभारी अधिष्ठान, सम्पत्ति अधीक्षक।</u>

कृपया पत्र के साथ संलग्न सम्पत्ति विभाग के पत्रांक-368/सम्पत्ति/2023/24, दिनाङ्क 20.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम के आवासीय भवनों की सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी थी।

उक्त विवरण में आवासों में अध्यासन करने वाले सेवानिवृत्त/मृतक/स्थानान्तरित कार्मिकों की संलग्न सूची में आवासों में अध्यासन की प्रथम आवंटन तिथि अंकित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सूचना एवं तत्सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पत्रांकः- 78/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-27.09.2023

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 142(2), 144(1) एवं लेखा नियमावली के नियम अनुसार सम्परीक्षा विभाग द्वारा सतत् रूप से सम्परीक्षण कार्य किया जा रहा है, इसी क्रम में परिवहन विभाग से सम्बन्धित निम्न अभिलेख परीक्षण हेतु सम्परीक्षा विभाग में अपेक्षित हैं। उक्त के अनुपालन में आवश्यक है कि परिवहन विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में विगत माह तक के निम्न अभिलेख सम्परीक्षा विभाग में अविलम्ब उपलब्ध कराये जायें यथाः-

1. परिवहन विभाग का वित्तीय वर्ष 2022-23 से अद्यतन तिथि तक का सत्यापित बजट रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर।
2. विभागों में कार्यरत समस्त वाहनो (हल्के/भारी) की सूची।
3. प्रत्येक वाहन की हिस्ट्री बुक (आवश्यक इन्ट्री के साथ), सम्बन्धित वाहनो के लॉग बुक।
4. ईधन वितरण रजिस्टर एवं वाहनों की इण्डेंट बुक।
5. वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं सितम्बर 2023 तक वाहनों की मरम्मत पर किये गये व्यय से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियॉ।
6. वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रय किये गये वाहनो की सूची एवं क्रय सम्बन्धी पत्रावलियाँ।
7. ऐसे वाहनों की सूची जो प्रयोग मे नहीं हैं एवं निष्प्रयोज्य हो चुके हैं, उनका विवरण एवं यदि उनका निस्तारण किया गया है तो उससे सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

उक्त समस्त अभिलेख यथाशीघ्र सम्परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे अधिनियमित व्यवस्था के अनुसार अभिलेखों का सम्परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पत्रांकः- 84/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-11.10.2023

महाप्रबन्धक जलकल/प्रभारी अधिष्ठान,
न0स्वा0अधि0/प्रभारी अधिष्ठान (स्वास्थ्य),
प्रभारी अधिष्ठान (सामान्य)।

कृपया सम्परीक्षा विभाग द्वारा अकेंद्रीयित कर्मचारी के सेवानिवृत/मृत्यु लाभ सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर सतत् रूप से किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्रावलियों के निस्तारण में अभिलेखों की अपूर्णता के कारण कार्मिक के देयकों के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है एवं कार्मिक को ससयम लाभ प्राप्त नही हो पाता,

पेंशन/उपदान सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्न कार्यवाही आवश्यक हैः-

1. पेंशन/उपादान के सम्बन्ध निर्गत उ0प्र0 पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली 1995 में निर्धारित प्रक्रिया समय-सीमा एवं उत्तरदायित्व के आधार पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
2. परीक्षण में पाया गया कि अधिकांश पत्रावली में मृत्यु-उपदान हेतु नामांकन प्रपत्र संलग्न नही है नामांकन के आभाव में मृत्यु उपदान की देयता में विलम्ब होता है, उक्त स्थिति हेतु आवश्यक है कि समस्त सेवारत

कार्मिकों का मृत्यु उपदान सम्बन्धी नामांकन आवश्यक रूप से पूर्ण प्रविष्टि के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. सेवानिवृत्त कार्मिकों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में भी स्पष्टता का आभाव है इस हेतु आवश्यक है कि प्रमाण-पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि सम्बन्धित विभाग पर कार्मिक की कोई देयता शेष नही है एवं जारीकर्ता के स्पष्ट गोहरयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांकः-46/डी0/मु0न0ले0परी0/2021-22, दिनाङ्क 12.08.2021 में निर्गत चेक-लिस्ट का संज्ञान लेने के उपरांत ही पत्रावली पेंशन विभाग द्वारा सम्परीक्षा विभाग में प्रस्तुत किया जाये ताकि ससमय कार्मिक के देयकों का निस्तारण किया जा सके।

पत्रांकः- 85/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-11.10.2023

<u>मुख्य अभिन्यता (निर्माण)</u>

कृपया नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0-1678/अ0न0आ0/2023-24, दिनाङ्कः-11.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो निर्माण विभाग के दिनाङ्क 19.09.2023 में हुए 15वॉ वित्त आयोग के टेण्डर की जांच से सम्बन्धित है। उक्त जांच के सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य नगर लेखा परीक्षक की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन करते हुए संयुक्त जांच आख्या 03 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

कृपया संलग्न शिकायती पत्र में उल्लिखित पत्रावलियॉ समिति के समक्ष उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे पत्रावलियों के परीक्षणोपरान्त एतत्सम्बन्धी आख्या से नगर आयुक्त महोदय को ससमय अवगत कराया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 86/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-12.10.2023

<u>मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/प्रभारी कम्प्यूटर</u>

कृपया नगर आयुक्त महोदय की पृच्छा दिनाङ्क 25.10.2023 के क्रम में; जो स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जन-जागरूकता एवं सरकार द्वारा निर्गत टूलकिट में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालन के लिए मैसर्स आईडिया मास्टर्स के अनुवन्ध को एक्सटेंशन किये जाने हेतु है; सम्परीक्षणार्थ सम्बन्धित फर्म के अनुबन्ध सम्बन्धी मूल अभिलेख/पत्रावली प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे नगर आयुक्त महोदय को ससमय आख्या उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 95/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-31.10.2023

<u>प्रभारी नजारत</u>

कृपया अपर नगर आयुक्त महोदय के पंत्राकः–97III/अ0न0आ0/2023–24, दिनाङ्क 31/10/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे अधोहस्ताक्षरी को सेवा निवृत्त लिपिक श्रीमती उरूसा नकवी के द्वारा नजारत विभाग को खारिज करने हेतु उपलब्ध कराई एम0ए0सी0–02 सं0–25579, 25581,25582, एवं 25585 के परीक्षण/सत्यापन हेतु नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनाङ्क 16.10.2023 के द्वारा नामित किया गया।

उक्त के क्रम में कृपया प्रकरण से सम्बन्धित एम0ए0सी0–02 सं0–25579, 25581,25582, एवं 25585 के परीक्षण हेतु सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराये साथ ही श्रीमती उरूसा नकवी को निर्गत किये गये उक्त प्रपत्रों का स्टाक रजिस्टर की सत्यापित छाया प्रति एवं अन्य सहायक अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि उक्त पुस्तिकाओं का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

पत्रांकः- 96/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-02.11.2023

जोनल प्रभारी (सिटी जोन)

कृपया अपर नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक 97/।।।/अ0न0आ0/2023-24 दिनाङ्क 31-10-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वर्णित है कि सेवानिवृत्त लिपिक श्रीमती उरूसा नकवी पूर्व में सिटी जोन में कार्यरत रही है तथा उनके द्वारा एम0ए0सी0-02 25579, 25580, 25581, 25582, 25583, 25584, तथा 25585 प्राप्त की गई तथा इनके द्वारा एम0ए0सी0-02 संख्या- 25579, 25581, 25582, एवं 25585 जमा नही कराई गईं।

इस सम्बन्ध में निम्न अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1. स्टाक बुक की सत्यापित प्रतिलिपि जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि किस संख्या की कितनी और किस दिनांक को एम0ए0सी0-02 लिपिक श्रीमती उरूसा नकवी को जारी की गईं।
2. रिकार्ड बुक जिसमें श्रीमती उरूसा नकवी द्वारा वापिस की गई एम0ए0सी0-02 का उल्लेख दिनांक एवं हस्ताक्षर सहित हो।
3. रोकड़ बही जिसमें लिपिक श्रीमती उरूसा नकवी द्वारा प्रयुक्त एम0ए0सी0-02 द्वारा जमा रोकड़ की ऐन्ट्री दर्ज हो।
4. वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-2018 एवं 2018-2019 की सत्यापित रोकड़बही।
5. अन्य सत्यापित सहायक अभिलेख ।

उक्त अभिलेख ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सत्यापन कर तत्सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की जा सके।

पत्रांकः- 99/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-04.11.2023

अपर नगर आयुक्त महोदय

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 97/।।।/ अ0न0आ0/2023-24, दिनाङ्क 31.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सेवानिवृत्त लिपिक श्रीमती उरूसा नकवी से नजारत विभाग को प्राप्त एम0ए0सी0-02 संख्या- 25579, 25581, 25582 एवं 25585 के परीक्षण एवं सत्यापन हेतु लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षोपरान्त आख्या निम्नवत् हैः-

1. उपर्युक्त वर्णित एम0ए0सी0-02 संख्याः- 25579, 25581, 25582 एवं 25585 को नजारत विभाग के स्टॉक बुक पृष्ठ संख्या 13 को देखने से स्पष्ट होता है कि ये पुस्तके दिनाङ्क 30.11.2015 को श्री राजवीर त्यागी (सिटी जोन) को दी गईं। इन एम0एम0सी0-02 प्रपत्रों का मिलान सिटी जोन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टॉक बुक से करने पर पता चलता है कि स्टॉक बुक के पृष्ठ संख्या-53 पर एम0ए0सी0-02 संख्या- 25579 दिनाङ्क 31.07.2019 को पृष्ठ संख्या 11 से 100 तक लाईसेंन्स हेतु प्रयुक्त करने के लिए दी गई। जिसमें प्राप्तकर्ता के खाने में श्रीमती उरूसा नकवी के हस्ताक्षर पाए गए हैं। (संलग्नक-01 एवं 02)
2. सिटी जोन के स्टॉक बुक को देखने से पता चलता है कि एम0ए0सी0-02 संख्या- 25581, 25582 एवं 25585 के सम्मुख प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है केवल पृष्ठ के अन्त में दाई ओर श्रीमती उरूसा नकवी के हस्ताक्षर पाए गए। (संलग्नक- 02)
3. नजारत विभाग की स्टाक बुक में उपर्युक्त एम0ए0सी0-02 पुस्तकों की ऐन्ट्री 30.11.2015 को की गई तत्पश्चात 31.07.2019 को पुस्तक संख्या- 25579 को सिटी जोन के स्टॉक बुक पृष्ठ संख्या- 53 पर की

गई जिस पर श्रीमती उरूसा नकवी के हस्ताक्षर है। नजारत विभाग से जारी दिनाङ्क एवं सिटी जोन के स्टॉक बुक में जारी दिनाङ्क में लगभग 04 वर्ष का अन्तर है। वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक शेष पुस्तके किस लिपिक के पास रहीं और श्रीमती उरूसा नकवी को इनके द्वारा प्राप्त कराए जाने का स्पष्ट प्रमाण नहीं। (संलग्नक-01 एवं 02)

4. पुस्तक संख्या 25579 क्रम संख्या- 001 से 010 तक जुर्माने हेतु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अलग-अलग जोनों में प्रयुक्त की गई जिसकी कुल धनराशि रू0 50,000/- नगर निगम खजाने में जमा कर हस्ताक्षर सहित मोहर लगाई गई है।

यह पुस्तक संख्या-25579 क्रम संख्या- 011 से 100 तक श्रीमती उरूसा नकवी को जारी की गई जो सिटी जोन की स्टॉक बुक के पृष्ठ संख्या 53 पर दर्ज है।

a. इस पुस्तक की क्रम संख्या 011 से 013 की प्रविष्टियाँ कैश बुक में दर्ज पाई गई है लेकिन धनराशि नगर निगम कोष में किस माध्यम से जमा कराई गई यह पता नही चल पाया।
b. क्रम संख्या- 014 की प्रविष्ट कैश बुक 2019-20 में संदिग्ध है जो कैश बुक के पृष्ठ संख्या 059 पर बाई तरफ लाईसेंस B-3 लिखकर धनराशि 4250/- की गई किन्तु पुस्तक संख्या नही दर्ज की गई।
c. क्रम संख्या- 015-017 तक धनराशि 3600/- की प्रविष्टि कैश बुक में दर्ज है लेकिन धनराशि खजाने में जमा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कराया गया।
d. क्रम संख्या- 018 की प्रविष्टि कैश बुक 2019-2020 में पृष्ठ संख्या 064 पर बाईं ओर दर्ज है परन्तु प्रतिपर्ण पुस्तक में ही संलग्न है।
e. क्रम संख्या- 019-020 की प्रविष्टियां कैश बुक में दर्ज तो है लेकिन धनराशि खजाने में जमा कराने का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नही कराया गया।
f. क्रम संख्या-021 दिनाङ्क 02.09.2019 की प्रविष्टि कैश बुक में दर्ज है लेकिन खजाने में जमा का प्रमाण उपलब्ध नहीं।

अतः केवल क्रम संख्या- 014 की ऐन्ट्री संदिग्ध/अस्पष्ट/अधूरी पाई गई इसके अलावा सभी प्रविष्टियाँ 011 से 021 तक कैश बुक में पाई गईं लेकिन इनकी धनराशि नगर निगम कोष में जमा का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया।

5. पुस्तक संख्या 25585 के क्रम संख्या- 001 की प्रविष्टि कैश बुक में पृष्ठ संख्या-09 पर दिनाङ्क 12.05.2022 को दर्ज की गई किन्तु यह पुस्तक नजारत विभाग में क्रम संख्या-001 पृष्ठ सहित उपलब्ध कराई गई अतः प्रथम पृष्ठ पुस्तक में ही दर्ज पाए जाने से पुस्तक संदिग्ध है। (संलग्नक-03 एवं 04)
6. पुस्तक संख्या 25581 एवं 25582 ब्लैंक (Blank) हैं जिनकी सम्परीक्षा सम्भव नही।

पत्रांकः- 109/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-21.11.2023

लेखाधिकारी

15वें वित्त आयोग के AQI (21191801) बजट मद के अन्तर्गत कराये जा रहे सघन वन विकसित करने के कार्य इत्यादि कार्यों हेतु किये जा रहे भुगतानों के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रावलियों से संज्ञानित हुआ है कि सम्बन्धित भुगतान के सापेक्ष कतिपय राशि के FDR संगत कालखण्ड तक विभाग में अनुरक्षित रखे जाने के आदेश दिये गये है। उक्त सगरत कार्यों के FDR तथा तत्सापेक्ष धनाङ्क की सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पत्रांकः- 114/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-22.12.2023

प्रभारी प्रकाश

नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न वार्डों के आंतरिक मार्गो में पूर्व से स्थापित खाली पोलों पर विभिन्न क्षमता की एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईटों की आपूर्ति के भुगतान सम्बन्धी पत्रावलियों पर; नगर आयुक्त महोदय की पृच्छा दिनाङ्कित 09.01.2024 के क्रम में; सम्परीक्षणार्थ वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्टाक बुक संख्या-06 की आवश्यकता है। उक्त स्टाक बुक को शीघ्रतिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे सम्परीक्षणोपरान्त आख्या ससमय प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 118/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-11.01.2024

अपर नगर आयुक्त महोदय,

कृपया संदर्भित प्रकरण की जांच में पाया गया कि श्री देवी सिंह, सहायक अभियंता (सिविल) ने अपने प्रार्थना पत्र में दिनाङ्क 20.11.2022 से 30.06.2023 तक के वेतन आहरण हेतु अनुरोध किया जिसके क्रम में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पत्रांकः-51/अधि0/2023-24, दिनाङ्क-21.08.2023 को शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु इसके सम्बन्ध में अद्यतन तिथि तक कोई भी निर्देश गाजियाबाद नगर निगम को प्राप्त नही है। पुनः श्री देवी सिंह, सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा एक प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव महोदय नगर विकास को दिनाङ्क 05.09.2023 को प्रेषित किये जिसके क्रम में शासन द्वारा गाजियाबाद नगर निगम से संख्या-2443/नौ-4-23-25ई/2019, दिनाङ्क 11 दिसम्बर 2023 के द्वारा आख्या की अपेक्षा की गई है।

ज्ञातव्य है की वित्तीय-हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग- 2 से 4 के सहायक नियम 183 एवं 184 के अनुसार 30 से अधिक की समय कार्यभार ग्रहण की स्वीकृति शासन स्तर पर ही सम्भव है।

अतः चुकि श्री देवी सिंह, सहायक अभियंता (सिविल) केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी है, अतः उचित होगा की एक वार पुनः श्री देवी सिंह, सहायक अभियंता (सिविल) प्रकरण की विस्तृत आख्या शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेपित की जाये कि उक्त के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया जाये तद्नुरूप कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

पत्रांकः- 119/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-19.01.2024

महाप्रबंधक (जलकल)

कृपया भंवर सिंह पुत्र स्व0श्री नानकचन्द पम्पचालक की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्मिक दिनाङ्क 30 जून 2004 को सेवानिवृत्त हो गया परन्तु अद्यतन तिथि तक कर्मिक को पेंशन/उपादान का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया गया कर्मिक द्वारा विभिन्न समयान्तरालों में अपने देयकों हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये है परन्तु पत्रावली के परीक्षण से यह स्पष्ट है विभाग द्वारा देयकों हेतु कोई भी कार्यवाही नही की गयी। परीक्षण में पाया गया कि पृष्ठ सं0-42 पर विभागीय आख्या में विभाग द्वारा यह कथन किया गया है कि कार्मिक को सरकारी आवास आवंटित है परंतु यह कथन वेतन बिल के आधार पर किया गया पत्रावली में आवास आवंटन संबधी कोई भी अभिलेख प्राप्त नही है। यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाये कि कार्मिक द्वारा सरकारी आवास का कब्जा निगम को हस्तांतरित नही किया गया तो भी कार्मिक को नियमानुसार अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में पत्रावली के पृष्ठ संख्या- 34 एवं 35 से स्पष्ट है कि तत्समय मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा अपनी आख्या में विलंब की स्थिति में अंतिम आहरित वेतन के आधार पर अनंतिम पेंशन दिये जाने का सुझाव दिया था जिसपर नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु उक्त पर कोई भी कार्यवाही क्यों नही गयी यह पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।

उपरोक्त के क्रम में प्रकरण के निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि यदि पृष्ठ सं0-44 के क्रम में विभागीय आख्या के आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि सेवानिवृत्ति के 04 साल बाद तक कार्मिक सरकारी आवास में रहा हैं तो मानक किराये के समायोजन कर्मिक के सेवानिवृत्त देयकों से करते हुए पेंशन/उपादान का भुगतान किया जा सकता है।

पत्रांकः- 129/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-08.02.2024

प्रभारी नजारत

नगर निगम अधिनियम की धारा 141 (1) के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाओं के लिए अत्यावश्यक कार्यों के निमित्त; निगम निधि में से; राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी की लिखित अधियाचना पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा किसी भी समय ऐसे कार्य का सम्पादन किया जा सकता है, जिसके बारे में यथास्थिति राज्य सरकार अथवा उक्त प्राधिकारी यह प्रमाणित करें कि सार्वजनिक उपयोगिता के लिए उस कार्य का कराना अत्यधिक आवश्यक है। नगर निगम द्वारा उपर्युक्त धारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन रहते हुए जिला प्रशासन अथवा अन्य शासकीय प्राधिकारियों की अधियाचना के उपरान्त किये गये कार्यों/भुगतान के सम्बन्ध में सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सूचनाओं की अपेक्षा हैः-

1. नगर निगम द्वारा उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 में किये/कराये गये कार्यों एवं तत्सापेक्ष भुगतान की पृथक्-पृथक् सत्यापित सूची।
2. नगर निगम द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को धारा 141(3) के अन्तर्गत तत्कार्यों के व्यय-वहन अपेक्षा की सत्यापित सूची।
3. शासकीय प्राधिकारी द्वारा नगर निगम से कराये गये कार्यों के प्रति-भुगतान की सत्यापित सूची।

उक्त सभी सूचनाओं को सम्परीक्षा विभाग में शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु सम्वन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे, जिससे नगर निगम अधिनियम की धारा 144 एवं लेखा नियमावली की धारा 77(2) के क्रम में वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शासन को ससमय प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 145/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-13.03.2024

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/प्रभारी सम्पत्ति

कृपया अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांकः-144/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-07.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अपर नगर आयुक्त महोदय की पृच्छा दिनाङ्कित 01.03.2024 द्वारा; श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री पवित्र सिंह निवासी-24 अर्जुन नगर गाजियाबाद के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित है। उक्त के सम्परीक्षणार्थ रमतेराम रोड स्थित, गाजियाबाद नगर निगम, शापिंग काम्पलेक्स अन्तर्गत निर्मित दुकानों की नीलामी/बोली सम्बन्धी मूल पत्रावली अपेक्षित थी। एतत्सम्बन्धी समस्त मूल अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नही कराये गये हैं जिससे अपर नगर आयुक्त महोदय को उक्त आख्या उपलब्ध नही करायी जा सकी है।

अतः उपर्युक्त अभिलेखों को 02 दिवसों के अन्दर प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे अपर नगर आयुक्त महोदय को उक्त हेतु आख्या ससमय प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 150/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-19.03.2024

उपसंहार

आय पक्ष, व्यय पक्ष, एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावलियों की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि उक्त चारों पक्षों में आडिट आपत्तियों को संज्ञान में लेकर सुधार की आवश्यकता है। करों की वसूली विशेष रूप से सम्पत्ति कर, विज्ञापन स्थल का किराया, लाईसेन्स शुल्क, कूड़ा विक्रय से प्राप्त आय में वृद्धि हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना तथा अनावश्यक व्यय (डीजल, पेट्रोल तथा साज-सज्जा आदि) पर यथा सम्भव नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी विशेष आपत्तियों, साधारण आपत्तियों एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित पत्रों को यथा स्थिति मा0 महापौर महोदया, नगर आयुक्त, सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकरियों को उनके निस्तारण तथा समुचित कार्यवाही हेतु समय-समय पर प्रेषित किया जाता रहा परन्तु पाया गया कि लेखा परीक्षा विभाग की आपत्तियों, एवं भेजे गये पत्रों के प्रकाश में आय के समुचित संसाधन विकसित किये जाने, आडिट आपत्तियों का उत्तर प्रस्तुत करने तथा उनके निराकरण कराने के प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी तथा निगम प्रशासन द्वारा कभी कोई बैठक या कार्यशाला आयोजित नही की जाती। जिसके परिणामस्वरूप निगम आय में न तो आशातीत वृद्धि हो पा रही है न ही आय के नये आयाम विकसित हो पा रहे हैं। अनिर्णीत लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण हेतु कोई प्रयास न किये जाने से उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों तथा पत्रों के प्रकाश में शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम प्रशासन को समुचित आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है, ताकि आन्तरिक आडिट की मूल अवधारणा का औचित्य निगम हित में स्थापित हो सके। उपर्युक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि आपत्तियों के उठाये जाने तथा पर्याप्त पत्र व्यवहार किये जाने के उपरान्त भी निगम प्रशासन द्वारा आडिट कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा न ही वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा आडिट के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाये जाने के कारण गम्भीर मामलों का पटापेक्ष हो पाना सम्भव नही हो पाता।

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन को तैयार कराये जाने हेतु लेखा परीक्षा विभाग के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक तथा कम्प्यूटर आपरेटर का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होनें इस प्रतिवेदन को तैयार कराने में विशेष सहयोग प्रदान किया है।

नगर निगम प्रशासन तथा माननीय कार्यकारिणी समिति का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर प्रत्येक स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक,
नगर निगम गाजियाबाद।